प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 22.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 10,000 - 10,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी **आजीवन कारावास** की सजा व दिया गया **10,000 – 10,000/- रु0** अर्थदण्ड ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.08.2014 को वादी सत्यनारायण पुत्र रामभरोसे निवासी गिरधारीपुरा थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर वादी के भतीजे की गोली मार कर हत्या कर दी है । तहरीर के आधार पर **थाना भरथना पर मु0अ0सं0- 348/2014 धारा 302/34** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग सैल व डीजीसी श्री शिवकुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 22.11.24 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 10,000 – 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **जगदीश पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला सती मन्दिर थाना भरथना जनपद इटावा ।**
2. **अवनीश पुत्र जगदीश निवासी मोहल्ला सती मन्दिर थाना भरथना जनपद इटावा ।**
3. **आशूतोष पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला सती मन्दिर थाना भरथना जनपद इटावा ।**
4. **रामवीर पुत्र बाबूराम यादव निवासी मोहल्ला सती मन्दिर थाना भरथना जनपद इटावा ।**